भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 33#

गुरूवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा

33# श्री मिथलेश कुमार:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले 12 महीनों के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) महामारी के बाद वर्ष 2021 से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारत का भविष्य में 100 मिलियन पर्यटकों के आगमन के आंकड़े तक पहुंचने का लक्ष्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

श्री मिथलेश कुमार द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 33# के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**

(क): आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 (मई माह तक) के दौरान देश में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) का माह-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

माह	**विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) (लाख में)**	
	2023 @	**2024 @**
जनवरी	8.7	9.6
फरवरी	8.7	10.0
मार्च	8.0	8.6
अप्रैल	6.0	6.5
मई	6.0	6.0
जून	6.5	-
जुलाई	7.6	-
अगस्त	6.4	-
सितम्बर	6.5	-
अक्तूबर	8.1	-
नवम्बर	9.2	-
दिसम्बर	10.7	-
कुल	92.4	40.7

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो @:अनंतिम

(ख): वर्ष 2021 से देश में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**वर्ष**	**भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (लाख में)**
1.	2021	15.3
2.	2022	64.4
3.	2023 (अ)	92.4
4.	2024 (जनवरी-मई) (अ)	40.7

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो (अ): अनंतिम

(ग) और (घ): आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2024 तक विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) के महामारी से पूर्व के स्तर पर पहुंचने की संभावना है ।

(ड.): पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं/पहलें शुरू की हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:

(i) देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को अपने देश की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल की शुरूआत की गई ।

(ii) प्रवासी भारतीय सदस्यों को अतुल्य भारत का प्रतिनिधि बनाने के लिए चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान । इस अभियान की शुरूआत अतुल्य और विकसित भारत के लिए जन भागीदारी की भावना से 5 गैर भारतीय मित्रों को हर वर्ष भारत की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु की गई है ।

(iii) बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करने हेतु 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन ।

(iv) अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल की शुरूआत की गई जिसका लक्ष्य पर्यटकों की सहायता के लिए देश भर में सुप्रशिक्षित, पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं का एक पूल तैयार करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म बनाना है ।

(v) 24X7 टोल फ्री बहु-भाषी पर्यटक हेल्पलाइन ।

(vi) वर्तमान में वीजा सात उप-श्रेणियों में उपलब्ध है यथा ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-आयुष वीजा और ई-आयुष अटेंडेंट वीजा । ई-पर्यटक वीजा के 3 विकल्प उपलब्ध हैं - (i) बहु-प्रवेश के साथ 05 वर्ष; (ii) बहु-प्रवेश के साथ 1 वर्ष और (iii) दोहरे प्रवेश के साथ एक माह ।

(vii) पर्यटन मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से आरसीएस उड़ान पर्यटन के तहत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी हेतु 53 पर्यटन रूटों पर प्रचालन शुरू किया गया है ।

(viii) पर्यटन मंत्रालय आगंतुकों को बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन', तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों

को वित्तीय सहायता प्रदान करके सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन का संवर्धन भी कर रहा है।

(ix) ''चुनौती आधारित गंतव्य विकास'' स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप-योजना है जिसका लक्ष्य संपूर्ण पर्यटक मूल्य श्रृंखला में पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गंतव्यों का समग्र विकास करना है ताकि हमारे पर्यटक स्थलों को स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के रूप में परिवर्तित किया जा सके । इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने 4 श्रेणियों यथा (i) आध्यात्मिक पर्यटन (ii) संस्कृति और विरासत (iii) वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (iv) इको पर्यटन और अमृत धरोहर स्थलों के अंतर्गत 42 गंतव्यों को चिह्नित किया है ।

(x) पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के तहत मेलों एवं महोत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों जैसे सेमिनार, कॉनक्लेव, संगोष्ठी आदि के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(xi) पर्यटन मंत्रालय ने भारत को वैश्विक स्तर पर पसंदीदा विवाह गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अतुल्य भारत ब्रांड के तहत 'वेड इन इंडिया' अभियान की शुरूआत की है । यह अभियान पूरे भारत में विवाह के लिए पूर्णत: उपयुक्त परिवेश और व्यवस्था वाले समृद्ध और विविधतापूर्ण गंतव्यों को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है । पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और प्रमुख औद्योगिक हितधारकों के सहयोग से पूरे भारत में ऐसे चयनित गंतव्यों पर फोकस कर रहा है जिनमें डेस्टिनेशन वेडिंग की मेज़बानी करने की विशेष क्षमता है ।

(xii) पर्यटन मंत्रालय ने प्रमुख एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए 'मीट इन इंडिया' नामक एक विशेष ब्रांड की शुरूआत की है । विशेष रूप से 60 जी 20 मेज़वान शहरों में एमआईसीई पर्यटन के प्रदर्शन और संवर्द्धन के लिए राज्यों तथा उद्योग जगत के सहयोग से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं ।

*****